दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/e-GRAS/25088-25287 **दिनांक** 21/3/2013

समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– **IFMS के तहत ई–ग्रास के माध्यम से राजस्व (Tax-nontax revenue) जमा कराने बाबत।**

महोदय,

वित्त (आर्थिक एवं मामलात) विभाग द्वारा परिपत्र ए.5(थ–75)डी.टी.ए./आई.एफ.एम.एस. दिनांक 01.11.2013 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में ई–ग्रास के माध्यम से राजस्व संग्रहण (Tax-nonTax revenue) दिनांक 01.12.2012 से Website "https://egras.raj.nic.in" पर राजकीय विभागों एवं करदाताओं द्वारा सफलतापूर्वक जमा करायी जा रही है।

नेट बैंकिग के माध्यम से जमा ऑनलाईन राजस्व का लेखा ई–कोषालय जयपुर द्वारा संधारित किया जाकर राजस्व जमा का मासिक लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। वे उपभोक्ता जिनके पास नेट बैंकिग की सुविधा नहीं है उन प्रकरणों में सिस्टम पर मेन्यूवल ऑप्शन का चयन कर सिस्टम जनरेटेड चालान की प्रति प्रिन्ट की जा सकती है। प्रत्येक चालान पर सिस्टम द्वारा "यूनिक नम्बर" (जी.आर.एन.नम्बर) दिया जावेगा। सिस्टम जनरेटेड मेन्यूवल चालान की प्रति संबंधित कोषालय एवं उपकोषालय से संबंधित राजकीय कार्य हेतु अधिकृत बैंक की शाखा पर प्रस्तुत किया जाकर राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से जमा करायी जा सकती है। राशि जमा कराये जाने के उपरान्त बैंक द्वारा यूनिक आई.डी. **(CIN No.)** उपलब्ध करवाये जावेगे। सिस्टम जनरेटेड मेन्यूवल चालानों का मासिक लेखा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कोषालयों द्वारा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया जा रहा है।

कर/राजस्व प्रदाओं द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से राजस्व जमा कराने के उपरान्त जी.आर.एन. एवं सी.आई.एन. नम्बर के आधार पर साईट पर जमा राशि का सत्यापन किया जा कर विभाग द्वारा सेवायें प्रदान की जावे। इस हेतु सभी विभागों को विभागाध्यक्ष स्तर पर User Id एवं Password इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आपको उपलब्ध कराये जा चुके है। आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को साईट पर लॉगिन करने हेतु User Id एवं Password विभागाध्यक्ष स्तर पर बनाये जाने है। जिसके लिये इस कार्यालय द्वारा आपको समय–समय पर लिखा जाता रहा है परन्तु कतिपय विभागों द्वारा इस संबंध में बार–बार पूछा जा रहा है।

अतः आपके अधीनस्थ विभागों को निम्न प्रक्रिया से अपने स्तर पर User Id एवं Password जारी करावें।

Step-1 Open the site "https://egras.raj.nic.in
Step-2 login-user name (Department code in IFMS) Password
Step-3 Creat User

आई.एफ.एम.एस. के तहत सभी कार्यालयों की मैपिंग संबंधित कोषालयों/उपकोषालयों से हो रही है। अतः ई-ग्रास में जिले के साथ कार्यालय का चयन करने पर कोषालय का नाम स्वतः सिस्टम पर प्रदर्शित हो रहा है। ई-ग्रास के तहत ई-चालान के माध्यम से राशि जमा कराने हेतु कोषालयों के साथ उपकोषालय से संबंधित बैंक भी सिस्टम पर प्रदर्शित हो रहे है।

अतः उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड जारी करावें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को ई-ग्रास के माध्यम से राशि जमा कराने हेतु निर्देशित करे।

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/e-GRAS/25088-25287 दिनांक 21/3/2013
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. सचिव वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. ई-कोषाधिकारी, वित्त भवन, जयपुर।
3. प्रणाली विश्लेषक/संयुक्त निदेशक वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

संयुक्त निदेशक (IFMS)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
2. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबवाईड पर डालने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर